



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092023-248898  
CG-DL-E-22092023-248898

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4025]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945

No. 4025]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

आय-कर

का.आ. 4193(अ).— केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 43ख के खंड (घक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजन हेतु गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के निम्नलिखित वर्ग अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- उच्च स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);
- उच्चतर स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);
- मध्य स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);

**स्पष्टीकरण.—** गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का उच्च स्तर, उच्चतर स्तर और मध्य स्तर में वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.सीआरई.आरईसी.60/03.10.001/2021-22, तारीख 22 अक्टूबर, 2021 में अंतर्विष्ट निशानिर्देशों के अनुसार होगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 80/2023 /फा. सं. 370142/31/2023-टीपीएल]

जिवितेश आनंद, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2023

**INCOME-TAX**

**S.O. 4193(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (da) of section 43B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the following classes of non-banking financial companies (NBFCs), for the purpose of the said clause, namely:—

- (a) all NBFCs classified in the Top Layer;
- (b) all NBFCs classified in the Upper Layer;
- (c) all NBFCs classified in the Middle Layer.

**Explanation.**— The classification of NBFCs in the Top Layer, Upper Layer and Middle Layer shall be according to the Reserve Bank of India's guidelines contained in Circular DOR.CRE.REC.No.60/03.10.001/2021-22 dated October 22, 2021.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 80/2023/F. No.370142/31/2023-TPL]

JIVITESH ANAND, Under Secy.